

हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
प्रशासकीय सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 जून, 2016

संख्या 7/31/2014-3ए0आर0.— हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, की अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0 दिनांक 15 फरवरी, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं; अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, की अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 15 फरवरी, 2016 की अनुसूची में:-

- (1) क्रम संख्या 47 के सामने, खाना 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी; अर्थात्:-

2	3	4	5	6	7
जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग	पानी/सीवर का ड्रप्लीकेट बिल जारी करना	3 दिन	संबंधित उप मण्डल अभियन्ता	संबंधित कार्यकारी अभियन्ता	संबंधित अधीक्षक अभियन्ता।

- (2) क्रम संख्या 189 के सामने खाना 3 के नीचे विद्यमान मद 4 के बाद, खाना 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे निम्नलिखित मदें जोड़ी जायेंगी; अर्थात्:-

3	4	5	6	7
(5) ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम 37) अधीन ठेकेदारों के लाइसेन्सों का नवीनीकरण	26 दिन	संबंधित उप श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त	अपर मुख्य सचिव, श्रम तथा रोजगार
(6) कारखानों अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) के प्रावधानों के अधीन लाइसेन्स का नवीकरण	45 दिन	अपर अतिरिक्त निदेशक एवं अतिरिक्त कारखाना मुख्य निरीक्षक	श्रम आयुक्त एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक हरियाणा	अपर मुख्य सचिव, श्रम तथा रोजगार
(7) पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 15) के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण का नवीनीकरण	15 दिन	श्रम निरीक्षक	सहायक श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त।

डी० एस० देसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।